न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

अपील संख्या — 24 / 2018

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1.ओकाराम पुत्र गंगाराम, भाट (फौत) के कायम मुकामः– 2.अलिया पुत्री ओकाराम,भाट 3.सोनाराम पुत्र ओकाराम,भाट 4.बुदाराम पुत्र ओकाराम,भाट 5.पपाराम पुत्र ओकाराम,भाट 6.सागरराम पुत्र ओकाराम, समस्त भाट,निवासीगण भाटो –का वास, सेलडी, तहसील आहोर, जिला जालोर 7.जबीया पुत्री ओकाराम पत्नि नेमाराम,भाट, निवासी हाल –रामासीया,तहसील व जिला पाली 8.सन्तोष पुत्री ओकाराम पत्नि मदनलाल, भाट, निवासी हाल डेण्डा,तहसील व जिला पाली		1.मदनलाल पुत्र तेजाराम,कौम भाट, निवासी नयागांव,तहसील पाली, जिला पाली 2.उपतहसीलदार भाद्राजून, तहसील आहोर, जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार भाद्राजून,दिनांक 30.5.2018(ना.क.सं.788)

उपस्थिति :–
1-श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित,अभिभाषक,अपीलांट्स की ओर से।
2–श्री जगदीश गोदारा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 29.11.2019

1. अपीलांट्स के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि संवत् 2040–2059 की मिराल बन्दोबस्त के अनुसार कालू,ओका पिसरान्

गंगा कौम भाट, साकिन देह खातेदार दर्ज था, कालु की शादी सुगनी के साथ हुई थी, इन दोनो से एक पुत्री शान्ति उत्पन्न हुई, जिसकी शादी गांव रानी ,तहसील रानी, जिला पाली तेजाराम के साथ हुई,तेजाराम की मृत्यु के बाद मदनलाल का जन्म हुआ,तेजाराम की मृत्यु के बाद शान्ति को पाली से मस्तान बावजी ईदगाह मस्जिद के पास हरजीराम को नाते दे दी, उससे कोई सन्तान नही हुई, वहां केवल चार छः माह ही रही ,उसके बाद शान्ति की मृत्यु हो गई, जो करीब 1970 में पाली मस्तान बावजी क्षैत्र में हई,लेकिन मदनलाल ने बनावटी मृत्यु प्रमाणपत्र अपने गांव रानी से बनाया, वहां शान्ति की मृत्यु नहीं हुई,फिर भी मिलावट कर गलत मृत्यु प्रमाणपत्र जमीन हडप करने की नियत से बनाकर उसका असल के रूप में दुरूपयोग किया और मृतक शान्ति पुत्री कालु का नाम गलत रूप से दर्ज करवाया। उसके बाद अपीलाधीन म्युटेशन सं. 388 मदन के नाम स्वीकृत हुआ जिससे असन्तुष्ठ होकर यह अपील कालु के सगे भाई ओकाराम वगैराह की तरफ से पेश की है। कालु व ओका दोनो सगे भाई थे, कालु के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और एक मात्र पुत्री शान्ति उत्पन्न हुई जिसकी शादी रानी गांव में हुई, वहां उसके पति की मृत्यु होने के बाद एक पुत्र मदन उत्पन्न हुआ जो जायज पुत्र है या नही, ये बिन्दु सिविल कोर्ट ही निर्णित कर सकती है, राजस्व न्यायालय को सन्तान के बिन्दु पर विवाद होने की स्थिति में पुत्र जायज मानने वाले पक्ष को सिविल कोर्ट में ये बिन्दु तय करवाने के बाद ही राजस्व न्यायालय द्वारा हक दिया जा सकता है,ऐसी स्थिति में मदन किसका पुत्र है, ये बिन्दु जब तक सिविल कोर्ट तय नहीं करती ,तब तक रेवेन्यू कोर्ट द्वारा मदनलाल को मृतक सुगनी का वारिस माना जाना विधि विरूद्ध है, अपीलाधीन म्युटेशन मृतक शान्ति के पुत्र मदनलाल नही होने के बावजूद उसके पक्ष में दिनांक 30.5.2018 को खोला जाकर स्वीकृत उसी दिन हुआ, फौतगी के म्युटेशन के मामलों में मृतक के पक्ष में म्युटेशन खोला जाये ऐसा कोई कानून अपीलांट के ध्यान में नहीं है,मृतक सुगनी का पुत्र या पौत्र मदन नही है, अपीलाधीन म्युटेशन स.788 का इन्द्राज जमाबंदी में हुआ , मदनलाल पुत्र तेजाराम का नाम 1/2हिस्से में, ओकाराम पुत्र गंगा 1/2 के साथ गलत रूप से दर्ज हुआ क्योंकि कालुराम नहीं है वह न तो उसका पुत्र है न पौत्र, पूर्व म्युटेशन सं.499 में मृतक शान्ति की मृत्यु 2.1.1971 को होना बताया है,प्रथम म्युटेशन मृतक शान्ति के पक्ष में हुआ जो गलत होने से उसको आधार मानकर यह अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत किया है जो पूर्ण रूप से गलत होने से निरस्त योग्य है। इस म्युटेशन का नोट जमाबंदी संवत् 2070—2073 में लगा दियागया है,मदनलाल का कब्जा मौके पर कभी

नहीं रहा।दिनांक 30.5.18 को अपीलांट्स गांव में हाजिर नहीं थे क्योंकि अपीलांट सं.1 लकवाग्रस्त हैं जिसका ईलाज करवाने के लिए बाहर जाते रहते है, इस कारण केम्प में उपस्थित नहीं रहे। दिनांक 13.7.2018 को अपीलांट बुदाराम पटवारी के पास जमाबंदी नकल, ऋण लेने के लिए आवश्यक होने पर गया, उस दिन यह पता चला कि कालु के स्थान पर ओकाराम का म्युटेशन भरा जा चुका था, दिनांक 13.7.18को पटवारी से नकल मांगने पर नकले दिनांक 16.7.2018 को मिली ,तब पूर्णरूप से ज्ञान हुआ, अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन म्युटेशन सं. 788दिनांक 30.5.2018निरस्त किया जाकर द्वितीय श्रेणी के वारिसान् अपीलांट्स के नाम पर म्युटेशन करने के आदेश तहसीलदार आहोर पर दिलावे। अपीलांट्स ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ नकले पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट्स के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र का रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है।

3. अपीलांट सं.4–बुदाराम के वकील ने अपीलांट सं. 1–ओकाराम फौत होने से उसके वारिसान् 2 से 6 पहले से मौजूद है व शेष ओकाराम की दो पुत्रियां जबिया पत्नि नेमारामजी भाट साकिन हाल–रामासीया व सन्तोष पत्नि मदनलाल ,भाट साकिन हाल डेण्डा, तहसील व जिला पाली को रेकर्ड पर लिया जावे, बाद सुनवाई के अपीलांट सं.7–जबिया व अपीलांट सं.8–सन्तोष को रैकार्ड पर लिया गया।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट्स के वकील ने बहस में बताया कि मौजा सेलडी के खसरा नम्बर 450 रकबा 4.43 हेक्टर में मिसल बन्दोबस्त संवत् 2040–2059 में कालु ,ओका पिसरान् गंगा , कौम भाट, बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज है, ओकाराम फौत के कायम मुकाम ने यह अपील पेश कर निवेदन किया कि ओकाराम का सगा भाई कालु का 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट–मदनलाल के नाम गलत दर्ज हुआ है, उसके स्थान पर ओकाराम के वारिसान् का हिस्सा, वे द्वितिय श्रेणी के वारिसान् होने के कारण दर्ज होना था, उसके स्थान पर मदनलाल के नाम गलत दर्ज हुआ है, इस अपील में कालु के 1/2हिस्से को लेकर ही विवाद है, कालु के कोई पुत्र नही था, उसकी पत्नि का नाम सुगणा था, जो दोनो पति,पत्नि मर चुके है,सुगणों के बजाय मृतक शान्ति के नाम म्युटेशन संख्या 499 हुआ है जो गलत है क्योंकि एक अन्य म्युटेशन सं. 788 जो शान्ति पुत्री कालु के स्थान पर रेस्पोडेन्ट–मदनलाल के नाम भरा गया है, उसमें शान्ति पुत्री कालुराम की मृत्यु दिनांक 2.1.1971को होना बताया है, इस प्रकार म्युटेशन 499 निर्णित किया, उस दिन शान्ति पुत्री कालु जीवित नही थी, इस प्रकार मृतक

के पक्ष में म्युटेशन हुआ है जो हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य है तथा म्युटेशन सं. 788 जो शान्ति के स्थान पर रेस्पोडेन्ट—मदनलाल के पक्ष में दिनांक 13.7.18 को निर्णित हुआ है वह भी गलत है क्योंकि राजथान रेवेन्यू बोर्ड द्वारा निर्णित अपील दिनांक 28.1.1997 को जेकोरी बनाम हरजी ,आर आर सी 1997 पृष्ठ सं.10 के निर्णय के अनुसार मृतक की सम्पति में सगे भाई व सगी बहनों को बराबर हिस्सा मिल सकता है लेकिन बहिन के लडके को कुछ नहीं मिलेंगा, उक्त निर्णय के अनुसार रेस्पोडेन्ट मदनलाल जो शान्ति का पुत्र है, उसके नाम निर्णित हुआ है, वह विधिसम्मत् न होने से निरस्त किये जाने योग्य है, वैसे भी पिता की सम्पति में पुत्री को उस समय मिलता जब पिता की मृत्यु के समय पुत्री जिन्दा हो, इस प्रकरण में पिता की मृत्यु 1989 में हुई है तथा उसकी पुत्री शान्ति की मृत्यु उससे पूर्व 1971 में ही हो चुकी थी, दूसरे शब्दों में शान्ति के पिता की मृत्यु के समय शान्ति जीवित नही थी, इसलिए शान्ति को कोई म्युटेशन के जरिये कोई हक नहीं मिलना चाहिये था तो उसके पुत्र को मदनलाल को हक मिलने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, इस प्रकरण में रेस्पोडेन्ट ने ऐसा कोई सबूत भी पेश नही किया है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि कालुराम की मृत्यु दिनांक 9.9.2005 के बाद हुई हो। इसके अलावा शान्ति की शादी गांव रानी में तेजाराम के साथ हुई थी, इन दोनों से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो मदनलाल है ,मदनलाल को उसके मां व उसके पिता की सम्पति जो उसके मूल गांव रानी में होगी,उसमें मदनलाल अपना हक प्राप्त कर सकता है,शान्ति के पीहर में मदनलाल को कोई हक प्राप्त नहीं होगा। यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि तेजाराम की मृत्यु होने के बाद शान्ति पाली शहर में नाते चली गई थी इसलिए भी शान्ति के पुत्र मदनलाल को कोई हक नही मिलता है,इस प्रकार दोनो अपीले स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर कालु के विधिक वारिसान् द्वितीय श्रेणी के कालुराम के सगे भाई ओकाराम वगेराह के नाम म्युटेशन भरने के निर्देश देते हुए अपील तहसीलदार आहोर को प्रतिप्रेषित करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं.1 के वकील ने बहस में बताया कि उक्त अपील म्याद बाहर है,दिनांक 30.5.2018 को उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया था उस दिन अपीलांट सं.1—ओकाराम नामान्तरकरण स्वीकृत के वक्त हाजिर था जिसके हस्ताक्षर नामान्तरकरण सं. 788 के पुश्त पर है,कालु व ओका दोनो सगे भाई है, कालु के फौत होने पर सुगणी के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ था उसके बाद सुगणी फौत होने पर उसकी पुत्री शान्ति के नाम उक्त नामान्तरकरण सही तरीके से खोला गया है, सुगणी के ओर कोई वारिसान्

नहीं है, तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व सुगणी के वारिसान् का शपथपत्र लेकर नामान्तरकरण की कार्यवाही सही तरीके से की गई है, अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र में दिनांक 13.7.2018 को पटवारी के पास जाकर जमाबंदी लेने पर जानकारी होना बताया है जबकि उसे नामान्तरकरण स्वीकृति के दिन ही नामान्तरकरण की जानकारी थी, अपील म्याद बाहर होने से खारिज की जावे। अप्रार्थी के वकील ने आर एल डब्लू 2005(1)आर जे पेज 457–458 की नजीर पेश की।

5. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम सेलडी के नामान्तरकरण 788, शान्ति पुत्री कालुराम की दिनांक 2.1.1971 को मृत्यु होने पर मदनलाल पुत्र तेजाराम के नाम भरा गया।

नामान्तरकरण सं. 499 के अवलोकन से, ग्राम सेलडी के म्युटेशन सं. 499 सुगणी बेवा कालु के दिनांक 15.3.2006 को फौत होने पर दिनांक 22.12.2010 को शान्ति पुत्री कालु के नाम स्वीकृत किया गया है जबकि शान्ति पुत्री कालु की मृत्यु दिनांक 2.1.1971 को हो चुकी थी , इस प्रकार म्युटेशन सं. 499 मृतक के नाम स्वीकृत किया गया है जो एब–इनिश्यो–वॉइड है, अतः उसके आधार पर भरा गया बाद का नामान्तरकरण सं. 788 भी एब–इनिश्यो–वॉइड है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की उप तहसीलदार भाद्राजून द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.5.2018(ना.क.सं.788) निरस्त किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार आहोर को इन निर्देशों के तहत् प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि जांच कर, नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित करे। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.10 10:44:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: